भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला–सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन क्षमता–05 एमटीपीए, माईनिंग लीज एरिया–1252.447 हेक्टेयर में से सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील अंतर्गत 934.578 हेक्टेयर क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री एन. एन. एक्का, अपर कलेक्टर एवं अतिक्ति जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 01/03/2014 को स्थान– शासकीय प्राईमरी स्कूल, हरिहरपुर, पोस्ट–तारा, तह. –उदयपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रातः 11:30 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि **मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला–सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन क्षमता–05 एमटीपीए, माईनिंग लीज एरिया–1252.447 हेक्टेयर में से सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील अंतर्गत 934.578 हेक्टेयर क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति** हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञ पत्र क्र. J-11015/398/2012- IA. II (M) दिनांक 14/05/2013 के परिपालन में उद्योग द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मण्डल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में 16 जनवरी 2014 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मण्डल मुख्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 25/01/2014 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देष दिये गये। कलेक्टर महोदय सरगुजा द्वारा दिनांक 28/01/2014 को उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 01/03/2014 नियत की गई। तद्नुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित एन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के परिपालन में दिनांक 29 जनवरी 2014 को इण्डियन एक्सप्रेस एवं द हितवाद के राष्ट्रीय संस्करण तथा दैनिक नवभारत, हरि भूमि समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सूचना प्रकाषित कराई गयी। प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन हेतु पर्यावरणीय समाघात आंकलन प्रतिवेदन एवं कार्यपालिक सार की प्रतियां अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, जिला पंचायत कार्यालय सरगुजा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अंबिकापुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उदयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर, ग्राम पंचायत कार्यालय घाटबर्रा एवं साल्ही, तह.–उदयपुर, डायरेक्टर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र), लिंक रोड नं. 3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल (म.प्र.), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर में रखी गई थी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि लोक सुनवाई हेतु सर्वसम्बंधितों को सूचना प्रकाषन तिथि से दिनांक 28/02/2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर में लिखित में **02 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई हैं। तत्पष्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया, इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आर.के. श्रीवास, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला– सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन** के परियोजना की जानकारी एवं विम्टा लैब हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया। तत्पष्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

अपने विचार रखने हेतु जब कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तब अपरान्ह 12:00 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर द्वारा पुनः उपस्थित जन सामान्य को आमंत्रित करते हुए परियोजना के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां व्यक्त करने हेतु कहा गया, किंतु 12:20 बजे तक उपस्थित जन सामान्य में से कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने उपस्थित नहीं हुआ।

श्री आलोक षुक्ला, छत्तीसगढ़ बचाओं आंदोलन के साथ बाहर आये लगभग 30 महिला एवं पुरूषों द्वारा जनसुनवाई स्थल पर प्रभावित ग्रामवासियों जो लगभग 300 की संख्या में थे लगातार जनसुनवाई के विरोध में नारेबाजी एवं हंगामा किया जाता रहा। जो ग्रामीण परियोजना के सम्बंध में अपना विचार रखना चाहते थे उन्हें भी इस दल द्वारा जबरन रोका गया। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा बार–बार निवेदन किया जाता रहा कि षांति व्यवस्था बनाये रखें तथा अपने विचार बिना किसी डर के रखें। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक हम आपकी भावनाओं को समझ नहीं पायेंगे। आप चाहे विरोध में हो या समर्थन में अपनी बात अवष्य कहें। उक्त लोक सुनवाई प्रभावित ग्रामवासियों के विचार/सुझाव/आपत्ति बावत् आयोजित की गई है। श्री आलोकष्षुक्ला, छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन, रायपुर के नेतृत्व में ग्रामवासी एकजुट रहे एवं लोक सुनवाई का बहिष्कार करने के सम्बंध में ग्रामीणों द्वारा लगातार नारेबाजी की जाती रही। समय–समय पर 12:22, 12:26, 12:30, 12:41, 12:54, 12:58, 01:06 एवं 01:13 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर तथा 12:24, 12:44 12:52 बजे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन सामान्य से अपनी बात रखने हेतु निवेदन किया गया, बीच–बीच में कुछ ग्रामवासी अपनी बात कहने के लिए माईक की ओर अग्रसर हुए जिन्हें श्री आलोक षुक्ला एवं बहकाये गये ग्रामवासियों द्वारा खदेड़ दिया गया। लोक सुनवाई स्थल पर लोक सुनवाई के विरोधियों एवं समर्थकों के बीच दो गुट बन गये थे। अन्ततः अपरान्ह 01:15 बजे श्री आलोक षुक्ला ग्रामवासियों के साथ विरोध प्रदर्षन करने हेतु माईक पर आये तथा लोक सुनवाई के विरोध में अपने विचार रखे तत्पष्चात् लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :–

1. **श्री आलोक षुक्ला, छत्तीसगढ़ बचाओं आंदोलन, रायपुर** – लोग आज की लोक सुनवाई का विरोध कर रहें हैं, बहिष्कार की घोषणा कल की लोक सुनवाई में की गई है, उद्योग द्वारा तैयार कराई गयी ई.आई.ए. में टी.ओ.आर. का उल्लंघन किया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट न्याय संगत नहीं है। दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2014 को ग्राम साल्ही, फतेहपुर एवं हरिहरपुर की ग्रामपंचायत में प्रस्ताव पारित कर लोक सुनवाई नहीं कराये जाने सम्बंधी आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2. **कु. निर्मला सिंह, ग्राम घाटबर्रा** – जमीन नहीं देना चाहते, लोकसुनवाई बंद करे।
3. **श्रीमती सौहाद्री बाई, ग्राम साल्ही**– जमीन नहीं देना चाहते, लोकसुनवाई बंद करे।
4. **श्री मियादास, ग्राम हरिहरपुर** – आदिवासी को सब कुछ मिलता है, गैर आदिवासी को कुछ नहीं मिलता, नुकसान हो रहा है, इन्दिरा आवास नहीं मिल रहा है।
5. **श्री असीम राम यादव, ग्राम परसा** – ग्रामपंचायत चारों तरफ नदी से घिरा है, अदानी ने एक पुल बनवाया है, गांव में किसी की भी तबियत खराब हो जाती है तो अदानी एम्बुलेंस भेजती है, समर्थन करते हैं।
6. **श्री हरीलाल टेकाम, ग्राम डांड़गांव** – हम बेरोजगार है, अदानी से निवेदन करते हैं कि हमें भी रोजगार दिया जाय, समर्थन करते हैं।
7. **श्री राणा प्रताप** – साल्ही ग्राम में जो खदान चल रही है उसके कटु अनुभव लोगों के पास हैं, प्रषासन न्याय संगत कार्यवाही करे, लोग पक्ष विपक्ष में आपस में लड़ाई–झगड़ा न करें, जो भी कहना है संवैधानिक तरीके से अपना पक्ष रखें, अदानी भी जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकता, अपना पक्ष षांतिपूर्वक तरीके से दर्ज करायें, लोग गलतफेमी से आपस में उलझ रहे हैं, सबकी सहमति से कार्य होना चाहिए, विरोध भी षांतिपूर्ण तरीके से दर्ज करायें, लोग

अपने पर्यावरण, जानवर, जीवन सबको लेकर लड़ रहे हैं, आज पर्यावरणीय मुद्दे की बात होनी चाहिए।

8. **श्री मंगल पाण्डे, अंबिकापुर** – पर्यावरणीय लोक सुनवाई में सभी लोगों को अपना पक्ष–विपक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, अपनी समस्याएं, मांग प्रषासन/सरकार तक रखने हेतु सुविधा होगी, हमें मिलजुलकर मानव विकास, स्वास्थ्य, षिक्षा के लिये सहायता होगी। सी.एस.आर. मद में कम्पनी का अनुपातिक लाभांष व्यय हेतु कम्पनी द्वारा प्रभावित ग्रामों में मूलभूत सुविधा विकसित करने हेतु उपयोग हो। गांव वालों के रोजगार, विस्थापन की व्यवस्था की जाय, उनके स्वरोजगार जीविका के लिये विचार किया जाय।
9. **श्री कृष्ण चंद यादव, ग्राम घाटबर्रा** – मैं पड़ोसी गांव का हूं अदानी खुले या न खुले यहां पर मेरा कालर पकड़ा गया तो कुछ भी हो सकता है, यहां का आदमी तीन–चार पहले रायपुर, कोरबा पलायन कर कमाने जाते थे। आज घाटबर्रा, परसा–केंते, हरिहरपुर के लोग अदानी कमाकर परिवार के साथ आराम से रहते हैं, समर्थन करता हूं।
10. **श्री जगदीष प्रसाद, ग्राम घाटबर्रा** – कम्पनी के आने से लाभ मिला है, समर्थन करता हूं।
11. **श्री अरूण कुमार मिश्रा, ग्राम तारा** – जनता के बीच में षासन आता है, प्रलोभन दिया जाता है, तारा का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, हाईकोर्ट में जाने के बाद मुआवजा मिला और बैंक में जमा कराया गया जिसे निकालने के लिये कलेक्टर से अनुमति मिलती है, समर्थन करता हूं। अदानी का आष्वासन था कि बरसात से पहले फोर लेन सड़क और स्कूल बन जायेगा जिसे पूरा करावें। अदानी के स्कूल में बच्चों का एडमीषन कराने गया तो बाहरी बताकर वापस किया, जनता को साथ में लेकर काम आगे बढ़ायें ।
12. **श्री प्रभुनाथ यादव, ग्राम बिषुनपुर**– पर्यावरण के बारे में सभी जानते हैं कि पर्यावरण की क्षति का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, जो भी करना है, उसे किया जाये। कम्पनी को लोगों में विष्वास पैदा करना होगा। देष के विकास के लिए कम्पनी–उद्योग आवष्यक है, लोगों के जीवन स्तर का आंकलन कम्पनी द्वारा कराया जाना चाहिए। मुआवजा से कमा खत्म नहीं होगा, प्रभावितों के जीवन की मूलभूत आवष्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जब बाहरी कम्पनियों को आमंत्रित किया जाता है तो यह तो देष की कम्पनी है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। प्रभावितों की समस्याओं का निराकर कर उन्हें संतुष्ट करें। प्रभावितों की अगली पीढ़ी का भविष्य एवं स्वास्थ्य षिक्षा का ख्याल रखा जाये। जब हमारे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को विरोध नहीं है तो हम क्यों विरोध करें। मानवीय आधार पर अपना काम करें, जिससे लोगों को असंतोष व कठिनाई न हो।
13. **श्रीमती कमला राजवाड़े, ग्राम परसा**– पर्यावरण प्रदूषण के सम्बंध में लोग षांति से बात करें, मैं समर्थन करती हूं।
14. **श्री फुलेष्वर गिरि, ग्राम सल्का** – जन सुनवाई का समर्थन करने आये है, हमारी एक मांग भी है कि यहां से 05 किमी. की दूरी पर हमारा गांव है जिसके नाले में खदान का गंदा पानी प्रवाहित हो रहा उसे ठीक करें। मांग पूरी पर समर्थन करता हूं।
15. **श्रीमती हेमा, ग्राम हरिहरपुर/साल्ही**– मैने अंतर्जातीय विवाह किया है जिससे लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कोई साथ नहीं देता, अदानी कम्पनी के आने से अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पति का एक्सीडेंट होने पर रात के 11 बजे अदानी कम्पनी ने मदद की, मेरा साथ दिया यहां से अंबिकापुर और बिलासपुर तक ईलाज के लिये सहयोग किया, समर्थन करती हूं, स्कूल आगे बढ़ायें, स्वास्थ्य केन्द्र भी अच्छे से बनाये, काम करने वाले का वेतन बढ़ायें ।
16. **श्रीमती सुरती बाई, ग्राम भूसीपारा**– मेरे पास सभी प्रकार के साधन है, खदान खुलने से नुकसान होगा।
17. **श्रीमती कैलासो, ग्राम परसा**– बच्चों को स्कूल जाने हेतु परिवहन सूविधा, गैस चूल्हा चाहिए, पानी की सुविध चाहिए, विधवा को पेंषन चाहिए, समर्थन करती हूं।
18. **मीना, ग्राम परसा** – समर्थन करती हूं।

19. **मीना देवांगन, ग्राम परसा** – बच्चों को स्कूल जाने परिवहन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, समर्थन करती हूं।
20. **रानी यादव, ग्राम परसा** – बच्चों को स्कूल जाने परिवहन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, समर्थन करती हूं।
21. **श्रीमती मुनिया, ग्राम परसा**– विधवा पेंषन नहीं मिल रही है, पेंषन दिलायी जाय।
22. **श्री मनोज कुमार गोस्वामी, ग्राम सल्का**– हमारे गांव में काफी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दिया जाय, स्वागत समर्थन ।
23. **श्री दिनेष गोस्वामी, ग्राम सल्का**– परसा में जो खदान खुला है, उसका पानी अटेम नदी में जा रहा है, उसी का पानी हम पी रहे जिससे बिमारियां हो रही हैं, पशु प्रभावित हो रहे हैं। बेरोजगारों को सुविधा दें, स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा देने का कष्ट करें, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी दें, समर्थन करता हूं।
24. **श्री कमलेष कुमार यादव, ग्राम घाटबर्रा**– अदानी के आने से स्वास्थ्य षिक्षा की व्यवस्था की गई है, समर्थन करता हूं।
25. **श्रीमती रूकमनिया राजवाड़े, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करती हूं, खदान के द्वारा रोजगार मूलभूत की सुविधाएं मिलेगी, अदानी द्वारा खोली गई खदान से मेरे बच्चे पढ़ रहें हैं। खदान खुलने से विकास होगा।
26. **श्री भरत साय, ग्राम परसा** – परसा– केंते में खदान खुलने का दुःख हो रहा है, जिसका जमीन नहीं फस रहा है उसको भी नौकरी दिया जाये, आज रू. 500 में जीवन यापन नहीं हो रहा है। आसपास के गांवों में खदान खुलने की जानकारी हुई कि लोग अपनी जमीन बेंच दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा काम और नौकरी दो तभी खदान खुलना चाहिए।
27. **श्री केतन गिरि गोस्वामी, ग्राम सल्का** – परसा में अदानी का पानी हमारे गांव में जा रहा है, जो पी नहीं पाते, हैण्डपंप दिया जाय।
28. **श्री भुवन गिरि, ग्राम सल्का**– पढ़े–लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, यहां का पानी अटेम नदी में जा रहा है, उसे रोका जाय।
29. **श्री हरिष चन्द गिरि, ग्राम सल्का** – सल्का में पानी जा रहा है, उसे रोका जाय।
30. **श्रीमती राधिका, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करती हूं।
31. **श्री देव सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर** – यहां की ग्रामवासियों की समस्या यह है कि वन भूमि में काबिज लोगों द्वारा आवेदन फार्म भरा है जिसे दिलाने का कष्ट करें। खातेदारों का बटवारा कराया जाय। खदान खुलने से बेरोजगारी कम होगी। षिक्षा में सुधार आयेगा, स्तर सुधरेगा, षिक्षा की सुविधा मिलने से विकास होगा, जिस समय मेरा बच्चा 18 माह का था, तब वह हार्ट पैसेंट हो गया था, जिसका रायपुर में कम्पनी द्वारा ऑपरेषन कराया गया।
32. **श्री प्रेमनाथ यादव, ग्राम परोगिया** – बिजली, पानी, रोजगार दिया जाय तो समर्थन करता हूं।
33. **श्री नारायण प्रसाद यादव (अधिवक्ता), ग्राम घाटबर्रा** –पर्यावरण के सम्बंध में बैठक की जानकारी क्षेत्रवासियों को नहीं दी गई, 15–20 दिन पहले ईष्तहार में नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में सुनवाई निरस्त करने योग्य है, जब हमारे पास वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जायेगा, उत्तरांचल की घटना प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है यह स्थिति हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहीए, पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए। लोगों को सुनवाई की जानकारी नहीं दी गई, वनो का धार्मिक महत्व है, इस क्षेत्र के हजारों पीपल के पेड़ों को काटा गया है, पीपल को भगवान का रूप माना गया है, यह क्षेत्र वन सम्पदा से लबालब है, इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, जिसमें अनेक उत्पाद–कंद मूल फल औषधियां, बर्षा, पशुओं का चारा प्राप्त होता है। क्षेत्र का जंगल कटने से क्षेत्र रेगिस्तान हो जायेगा, मानव द्वारा निजी लाभ के लिये पेड़ काटने से भूमि की उर्वरा षक्ति कम होगी, भूमि का क्षरण बाढ़ आदि का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण को महत्व दिया जाये, अदानी कम्पनी का विरोध नहीं करना है।

34. **श्री घनष्याम प्रसाद, ग्राम घाटबर्रा**– पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही संवैधानिक अधिकारों के तहत् आप अपनी लड़ाई लड़ सकते है। लोग कम्पनी से लाभ लेने दौड़–दौड़ के जाते हैं, पर्यावरण से हमारी वनोपज आती है, कम्पनी अपनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही खदान खोल सकती है, समर्थन करता हूं।

35. **श्री मोहम्मद षकील, ग्राम तारा**– समर्थन करता हूं।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेटर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग अपरान्ह 03:00 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आर.के. श्रीवास, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं विम्टा लैब हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 03:30 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में **38** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **35** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सामान्य को पढ़कर सुनाया गया। लोक सुनवाई में लगभग **800** व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल **31** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त दण्डाधिकारी
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा